

**दिनांक 04.03.2024 को थाना हलधरपुर क्षेत्रान्तर्गत हुयी युवक की हत्या मामले में  
हत्यारोपित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल 01 गमछा 01 गिट्क बरामद—**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी/स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना हलधरपुर पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 05.03.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चकरा हाल्ट के पास से मु0अ0सं0 46/24 धारा 302,201 भादवि में वांछित अभियुक्तगण सत्यानन्द चौहान पुत्र ईश्वरचन्द चौहान, सुबाष चौहान पुत्र स्व0 फागू चौहान, अभिषेक चौहान पुत्र राजू चौहान निवासीगण बकराबाद थाना हलधरपुर जनपद मऊ के पास से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक गमछा तथा एक गिट्क बरामद कर गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

1. सत्यानन्द चौहान पुत्र ईश्वरचन्द चौहान, अभिषेक चौहान पुत्र राजू चौहान निवासी बकराबाद थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
2. सुबाष चौहान पुत्र स्व0 फागू चौहान निवासी बकराबाद थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
3. अभिषेक चौहान पुत्र राजू चौहान निवासी बकराबाद थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

**बरामदगी—**

1. आलाकत्ल एक गमछा तथा एक गिट्क।

**मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध अभियुक्त आजीवन  
कारावास व ₹65000 के अर्थदंड से हुआ दंडित—**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट—प्रथम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 05-03-2024 को, मु0अ0सं0 1553 /2015 धारा 363,366,368,376 भादवि व 3/4 व 16/17 पॉक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्त नरेश गौतम पुत्र नोखेलाल निवासी रकवा बण्डा थाना बण्डा जनपद शाहजहापुर को कारित अपराध के लिए धारा 4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा एवं ₹65000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रामचन्द्र चौहान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप गौतम थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।

**साइबर अपराध से संबंधित आनलाइन ठगी के 55583 रुपये संबंधित को जनपद मऊ पुलिस द्वारा वापस कराया गया—**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए आनलाइन ठगी के शिकार पीडित धर्मप्रकाश राम पुत्र रामबली राम निवासी अमारी अमरहट थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ का कुल 55583 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम करके उनके खाते में वापस कराया गया पीडित द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को आभार व्यक्त किया गया साइबर अपराध किसी भी प्रकार किसी के साथ घटित हो सकता है। जागरुक रहकर ही इस अपराध से बचा जा सकता है। बरामदकर्ता टीम— प्रभारी निरीक्षक संजय त्रिपाठी, निरीक्षक अपराध हरेन्द्र सिंह, क0आ0 नितेश तिवारी, का0 धीरज कुमार यादव, का0 आकाश ठाकुर,म0का0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी आदि शामिल रहे।

**गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार—**

आज दिनांक 05.03.2024 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 53/24 धारा 3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण मनोज कुमार वर्मा पुत्र हरिनारायण वर्मा, श्रवण कनौजिया पुत्र लालचन्द कनौजिया निवासीगण सिसवार खुर्द थाना रसड़ा जनपद बलिया को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।